न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

सवाराम पुत्र कछुआजी, जाति- माली, निवासी- बालदा (वेलांगरी), तह. व जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

प्रार्थना पत्र संख्याः 88/2018

''प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवड़ा, प्रार्थी सवाराम की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 18 अक्टूम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही) द्वारा राजस्व निगरानी संख्याः 6/2011 अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 अनवान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही बनाम सवा में पारित निर्णय दिनांक 20.6.2012 को निरस्त कराने एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/रीडर/2019/750 दिनांक 10.10.2019 से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, सिरोही ने प्रार्थी सवाराम को ग्राम बालदा (वे.) के खसरा संख्या 363/862 रकबा 0.49 हेक्टेयर किस्म बारानी-1 भूमि (जिसके पुराने खसरा संख्या 146 रकबा 3.00 बीघा है) का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थी सवाराम के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें नोटिस की तामिल होने पर प्रार्थी सवाराम इस न्यायालय में दिनांक 05.9.2011 को पेशी पर उपस्थित हुआ था एवं जवाब व सबूत प्रस्तुत करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उस दिन पीठासीन अधिकारी जी अवकाश पर थे। प्रार्थी का व्यवसाय कार्य है व प्रार्थी व्यवसाय कार्य से राजस्थान से बाहर रहता है। प्रार्थी दिनांक 05.9.2011 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के बाद व्यवसाय के कार्य से बाहर चला गया एवं इस प्रकरण से संबंधित कार्यवाही करने की प्रक्रिया भूल गया। उसके बाद प्रार्थी के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.3.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.6.2012 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जिसकी

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जानकारी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.4.2018 को प्रार्थी के घर पर दी गई। जिस पर प्रार्थी के घरवालों ने प्रार्थी को फोन पर सूचित किया। तब प्रार्थी जहां व्यवसाय करता है, वहां से तुरन्त अपने गांव आया एवं अपने अधिकवक्ता से सम्पर्क कर उक्त निर्णय व संबंधित दस्तावेजों की नकल प्राप्त की। यह कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व व लाने के बाद प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई व प्रकरण सीधे ही बहस हेतु मुकर्रर कर प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय दिनांक 20.6.2012 को पारित किया गया है। प्रार्थी को दिनांक 05.9.2011 के बाद उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी की कोई सूचना नही देने के कारण प्रार्थी इस न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर दिनांक 05.9.2011 के बाद उपस्थित नही हो सका है, जिसमें प्रार्थी की कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.9.2011 के बाद की आगामी पेशी की सूचना नही दिये जाने के कारण प्रार्थी इस न्यायालय में उपस्थित नही हो सका, जिसके कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण में अपना पक्ष व सबूत प्रस्तुत करने से वंचित रहा है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के विरुद्ध उक्त प्रकरण में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 20.6.2012 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण पुन: नंबर पर लेकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश पारित किये जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त कि उक्त राजस्व निगरानी संख्या: 06/2011 में अप्रार्थी सवाराम को जारी नोटिस की तामिल होने पर उक्त प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 05.9.2011 को अप्रार्थी सवाराम इस न्यायालय में उपस्थित हुआ व एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर अपना कब्जा-काश्त बताते हुए सबूत प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। उसके बाद अप्रार्थी सवाराम इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ, जिस पर इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सवाराम के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर दिनांक 20.6.2012 को निर्णय पारित किया गया है। यह कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सवाराम को नोटिस की सम्यक रुप से तामिल होने पर ही अप्रार्थी सवाराम इस न्यायालय में दिनांक 05.9.2011 को उपस्थित हुआ, उसके बाद अप्रार्थी इस न्यायालय में न तो उपस्थित हुआ एवं न ही कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत किये। अप्रार्थी को उक्त प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन होने की जानकारी भलीभांति होने के बाद भी अप्रार्थी जानबूझ कर इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ एवं न ही कोई सबूत प्रस्तुत किये है। यह कि आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान उन परिस्थितियों में ही लागू होते है, जब अप्रार्थी/प्रतिवादी को नोटिस की सम्यक रुप से तामिल नही हुई हो। यदि प्रार्थी उक्त निर्णय दिनांक 20.6.2012 से असंतुष्ट है तो प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये। अत: प्रार्थी का प्रार्थना अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री सवा पुत्र कछुआ जी, जाति- माली, निवासी- बालदा (वे.) को ग्राम बालदा (वें.) के खसरा संख्या 363/862 रकबा 0.49 हेक्टेयर किस्म बारानी-I भूमि (जिसके पुराने खसरा संख्या 146 रकबा 3.00 बीघा है) का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी सवा के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जो इस न्यायालय में राजस्व निगरानी संख्या 06/2011 पर दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी सवा पुत्र कछुआ जी, जाति- माली, निवासी- बालदा (वे.) को नोटिस जारी किया गया। इस न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व निगरानी संख्या: 06/2011 में अप्रार्थी सवा को जारी नोटिस की

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अप्रार्थी सवा को तामिल होने पर अप्रार्थी सवा इस न्यायालय में उक्त प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 05.9.2011 को उपस्थित हुआ व एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि पर कब्जा-काश्त होना बताते हुए जवाब व सबूत प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। उसके बाद उक्त प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 03.10.2011, 04.11.2011, 05.12.2011, 11.1.2012, 17.2.2012 व 13.3.2012 को इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ एवं न ही कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत किये। जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.3.2012 को अप्रार्थी सवा के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। उसके बाद भी प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 13.4.2012, 21.5.2012 व 20.6.2012 को भी अप्रार्थी सवा इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.6.2012 को पेरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर दिनांक 20.6.2012 को निर्णय पारित किया गया है। इससे, यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी सवा को उक्त प्रकरण में नोटिस की सम्यक् रुप से तामिल होने पर उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 05.9.2011 को अप्रार्थी सवा इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है व उसके बाद अप्रार्थी सवा इस न्यायालय में उक्त प्रकरण में नियत सुनवाई तिथियों पर उपस्थित नही हुआ है। इस प्रकार, अप्रार्थी सवा को इस न्यायालय में उक्त प्रकरण विचाराधीन होने की भलीभांति जानकारी होने के बाद भी अप्रार्थी सवा इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ व न ही साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत किये।

यह भी उल्लेखनीय है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के प्रावधान उन्हीं परिस्थितियों में लागू होते है, जब अप्रार्थी/प्रतिवादी को नोटिस की सम्यक् रुप से तामिल नही हुई हो या अप्रार्थी/प्रतिवादी को नोटिस की सम्यक् रुप से तामिल हुये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया हो।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

18.10.2019

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.08 12:25:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: